(77)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : बी0एम0शर्मा,
सदस्य

निगरानी प्र0क्रं0 दो/निग/सीधी/भू0रा0/2018/0788 विरूद्ध आदेश दिनांक 09-01-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 168/अपील/2010-11

1- दिनेश कुमार सिंह
2- सुरेश प्रताप सिंह
3- महेश प्रताप सिंह
4- रमेश प्रताप सिंह
5- नरेश प्रताप सिंह
6- अनिल कुमार सिंह
समस्त पुत्रगण कृष्ण प्रताप सिंह
समस्त निवासीगण ग्राम डेम्हा,
तहसील गोपदबनास, जिला-सीधी
(म0प्र0)

---निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1- यशवन्त सिंह पुत्र राजवली सिंह,
निवासी ग्राम डम्हा, तहसील गोपदबनास,
जिला- सीधी (म0प्र0)

------- गैर निगरानीकर्ता

श्री एस0के0 अवस्थी, अधिवक्ता - निगराकार
श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अधिवक्ता - गैर-निगराकार

:: आदेश ::

(आज दिनांक 25.5.19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-01-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डेम्हा रा0नि0 मण्डल गिर्द द्वितीय तहसील गोपदबनास जिला सीधी में स्थित आराजी खसरा नंबर 976/0.030, 1303/0.790, 1304/0.880, 1306/0.140, 1764/0.120, 1943/0.770, 864/0.090 है0 भूमियां जिनके मूल भूमिस्वामी स्व0 साहेबलाल सिंह है उनके द्वारा जरिये वसीयत के आधार पर आवेदकगण के पिता स्व0 कृष्णप्रताप सिंह को उक्त भूमियां दे दी गई थी तत्पश्चात वसीयतगृहीता जो आवेदकगण के पिता है उनकी मृत्यु हो जाने के उपरांत आवेदकगण के द्वारा नायब तहसीलदार गिर्द 2 तहसील गोपदबनास जिला सीधी के समक्ष शासन को अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाते हुए वारिसाना नामांतरण किये जाने का आवेदन पेश किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आवेदकगण के पक्ष में दिनांक 01-02-07 को आदेश पारित करते हुए वारिसाना आवेदन पत्र स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास/सिंहावल जिला सीधी के समक्ष प्रस्तुत की गई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन भूमियों के खसरे की नकल पेश नहीं की गई है और तहसील न्यायालय द्वारा

जो आम इश्तहार जारी किया गया है उस पर तामीली का दिनांक अभिलिखित नहीं है तथा तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 16-01-07 से लेकर दिनांक 31-01-07 तक में काटछांट की गई है जो एक संदेहास्पद स्थिति का परिचायक है इससे दर्शित होता है कि नामांतरण के मान्य नियमों का पालन किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, इसके अतिरिक्त सिविल वाद के संबंध में अवधारित किया कि प्रश्नाधीन भूमियां ही अपीलाधीन भूमियां है ऐसा कोई प्रमाण प्रकरण में विद्यमान नहीं है । इस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 05-10-10 को आदेश पारित करते हुए तहसील न्यायालय के आदेश को विधिसंगत नही मानते हुए निरस्त किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष पेश की गई । अपर आयुक्त द्वारा विस्तृत विवेचना उपरांत दिनांक 09-01-18 को आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिसंगत मानते हुए उसे स्थिर रखा तथा उनके द्वारा अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3- आवेदक द्वारा मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश कानूनन सही नहीं है क्योंकि अपीलीय न्यायालयों ने उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया है । उनके द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि दीवानी न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होते है ऐसी स्थिति में दीवानी डिक्री के आधार पर प्रारंभिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किये जाने में भूल की गई है । उनका यह भी तर्क है कि अभिलेख से यह तथ्य प्रमाणित है कि राजस्व अभिलेख में अंकित भूमिस्वामी साहबलाल सिंह के पक्ष में दीवानी न्यायालय की डिक्री दिनांक

07-07-99 के आधार पर नामांतरण हो चुका है तथा दीवानी न्यायालय की उक्त डिक्री अंतिम हो चुकी है । अभिलिखित भूमिस्वामी साहबलाल सिंह द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर साहबलाल की मृत्यु के बाद कृष्णप्रताप सिंह स्वत्वाधिकारी है तथा कृष्णप्रतापसिंह की मृत्यु के पश्चात तहसील न्यायालय द्वारा सही तौर पर प्रार्थीगण के हित में नामांतरण आदेश विधिवत जांच के पश्चात पारित किया गया है ऐसी स्थिति में प्रारंभिक न्यायालय के आदेश को निरस्त किये जाने में भूल की गई है । निगरानीकर्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि दीवानी न्यायालय की डिक्री अंतिम हो चुकी है तथा पंजीकृत वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तब प्रतिप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील जो अवधिबाह्य थी, उसे स्वीकार किये जाने में भूल की गई है । इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा अपीलीय न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने तथा प्रारंभिक न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4- अनावेदक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये है जिसमें मुख्य बिंदु यह है कि पूर्व भूमिस्वामी साहबलाल सिंह ने निगरानीकर्तागण के पिता कृष्णप्रताप सिंह के पक्ष में दिनांक 12-08-98 को वसीयत कराई थी जिसके पश्चात वसीयतगृहीता की मृत्यु वसीयतकर्ता साहबलालसिंह के जीवनकाल में ही हो गई थी इस प्रकार वसीयत निष्प्रभावी हो गई तथा इसी निष्प्रभावी वसीयत का उपयोग उनके पुत्रगण दिनेशसिंह वगैरह ने षडयंत्र करके बिना किसी सूचना दिये चोरी चोरी से नामांतरण करा लिया जिसे अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अपर आयुक्त ने भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा है जो विधिसंगत है । अनावेदक द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने नामांतरण नियमों का पालन किये जाने हेतु प्रकरण को

प्रत्यावर्तित किया है जिसमें दोनो पक्षों को अपना पक्ष रखे जाने का उचित अवसर प्राप्त होगा । ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा निवेदन किया कि अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे ।

3- उभय-पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं लिखित तर्को का परिशीलन किया तथा उसके संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4- प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के मूल भूमिस्वामी साहबलाल सिंह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 24-09-04 को हुई है इनकी मृत्यु उपरांत तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 01-02-07 को नामांतरण आदेश आवेदक के पक्ष में इस आधार पर पारित किया गया है कि आवेदकगण के पिता के पक्ष में मूल भूमिस्वामी द्वारा वसीयत निष्पादित की गई है । प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वसीयतगृहीता आवेदक के पिता कृष्णप्रताप सिंह की मृत्यु वसीयतकर्ता साहबलाल सिंह के जीवित रहते हुए ही हो गई थी । जब वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयतगृहीता की मृत्यु हो जाती है तब ऐसी स्थिति में उस वसीयत का निष्पादन नहीं हो सकता है और उसे लागू नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार जब प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयत के आधार पर आवेदकगण के पिता का नाम दर्ज ही नही हुआ तब उनके वारिसान का नामांतरण किया जाना पूर्णतया अवैधानिक होकर न्यायोचित नहीं है। मैं अधिनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से भी सहमत हूँ कि विचारण न्यायालय द्वारा इश्तहार प्रकाशन की कार्यवाही विधिपूर्ण तरीके से नहीं की गई है । इसके अलावा विचारण न्यायालय में अनावेदक जोकि मृतक भूमिस्वामी का वैध वारिस है उसे भी पक्षकार नहीं बनाया गया है केवल शासन को पक्षकार बनाया जाकर नामांतरण की कार्यवाही की गई है जो अवैध होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जहां तक सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का प्रश्न है वह इस प्रकरण में विवादित भूमियों के संबंध में

न होकर अन्य भूमियों के संबंध में है, इसकी विस्तृत व्याख्या अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में की है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास का आदेश दिनांक 05-10-10 एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-01-18 विधिसम्यक होने से स्थिर रखे जाते है ।

25/5

(बी0एम0शर्मा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर